INDIA NON JUDICIAL

IN-UP89849345855941V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP89849345855941V**
Certificate Issued Date	:	04-Dec-2023 01:26 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410400475384940973789V
Purchased by	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	MAUJA SALEMPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JAGVIR SINGH
Second Party	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Stamp Duty Paid By	:	MESSERS MAHARAJA REALTECH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	54,300 (Fifty Four Thousand Three Hundred only)

28488/2023

SUMIT CHATURVEDI MATHURA ACC ID-UP14104004

Please write or type below this line

RD 0008651019

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

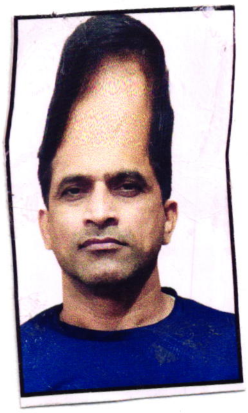

!! ओउम श्री सिद्धिदात्री नमः !!

लेखपत्र/विक्रयपत्र का संक्षिप्त विवरण :-

1. सम्पत्ति का प्रकार : प्लॉट जमीन
2. स्थित : मौजा **सलेमपुर मथुरा** तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का विवरण : दो किता प्लॉट नं. **33सी पूरा व 34सी का उत्तरी भाग**, जो आपस में मिले हैं।
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **154.45** वर्ग मीटर
5. सड़क की स्थिति : प्रलेख में वर्णित है।
6. प्रतिफल की धनराशि : 7,75,000/-रूपया
7. सरकारी मालियत : 7,73,000/-रू.
8. देय स्टाम्प : 54300/-रू. ई-स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
9. उक्त क्षेत्र की जमीनों का सरकारी रेट -5000/-रुपया प्रति वर्ग मीटर, जो रेट लिस्ट के पेज नं. क्रमांक पर दर्ज है।
10. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक मथुरा।
11. विक्रेता-क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण-1

जगवीर सिंह पुत्र श्री नवल सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर पोस्ट महोली तहसील व जिला मथुरा।

पेन : बी बी सी पी एस 3471 डी

क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण-1

मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी 106,107 व 108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा।

पैन : ए बी ई एफ एम 9647 ए

मो-8859404056

जोकि दो किता प्लॉट नं. **33सी पूरा व 34सी का उत्तरी भाग** पैमायशी पूरब –32 फीट 6 इंच, पश्चिम –34 फीट, उत्तर –50 फीट 2 इंच, दक्षिण –50 फीट, कुल क्षेत्रफल 184.72 वर्गगज बराबर **154.45** वर्ग मीटर, जिसकी सीमाऐं निम्न हैं –

पूरब –प्लॉट नं. 1डी व 2डी
पश्चिम –रास्ता 6 मीटर से अधिक चौडा
उत्तर –जमीन क्रेता फर्म
दक्षिण –जमीन श्रीमती बृजलता व उर्मिला

स्थित मौजा **सलेमपुर मथुरा** तहसील व जिला मथुरा, जो खसरा नंबर **58** की भूमि में स्थित है, जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है, जिसको प्रथम पक्ष ने बजरिये पंजीकृत बैनामा इकरारी श्रीमती बृजलता पत्नी श्री मुरारीलाल आदि से दिनांक 05.12.2014ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक मथुरा में बही नं. 1 जिल्द सं. 11173 के पृष्ठ 271–292 क्रमांक 20566 पर दिनांक 05.12.2014ई0 पर हुई है, क्रय किया, जिस पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है तथा प्रथम पक्ष ही उक्त प्लॉट जमीन पर बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त प्लॉट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है तथा उक्त प्लॉट जमीन प्रत्येक प्रकार के झगडे झंझट, कर्जे, जमानत आदि से पूर्णतः पाक साफ है तथा उक्त प्लॉट की बाबत कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है और न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में रहन व गिरवी आदि है और न किसी डिक्री आदि में नीलाम या कुर्क है और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त प्लॉट जमीन की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है तथा प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट जमीन की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट जमीन के विक्रय व हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट पैदा कर सके। प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है, जिस कारण उक्त प्लॉट जमीन बेचना जरूरी है और इस समय द्वितीय पक्ष अच्छी कीमत देकर उक्त प्लॉट जमीन को क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

अतः उक्त प्लॉट जमीन को समस्त हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के समस्त हकूक व अधिकारों सहित बखुशी वराजी अपने बऐवज 7,75,000/–रु. (सात लाख पिचत्तर हजार रूपया) में बदस्त **मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी 106,107 व 108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा**, खरीदार द्वितीय पक्ष फर्म के हक में बेच दिया और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त कर व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर, कब्जा व दखल बेचे गये प्लॉट जमीन पर द्वितीय पक्ष का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। खरीदार द्वितीय पक्ष फर्म बेचे गये प्लॉट जमीन की आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे, उस पर निर्माण कराये, रिहायशी उपयोग में लावे और जिस प्रकार चाहें प्रयोग करे और जो चाहे सो करे। अब बेचे गये उक्त प्लॉट जमीन में प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेचे गये प्लॉट जमीन की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा प्लॉट जमीन द्वितीय पक्ष से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रूपयों को प्रथम पक्ष व उनकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाप्ता बजरिये अदालत वसूल कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा।

बेचा गया प्लॉट विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है। प्लॉट पर भविष्य में लगने वाले शुल्कों को अदा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 29.07.2020 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 7 के सफा 95–104 पर क्रमांक 12 पर हुई है, के द्वारा **विवेक बंसल पुत्र श्री नितिन कुमार बंसल निवासी एल.आई.जी. 9, महाविद्या कालौनी प्रथम चरण मथुरा,** को उक्त **हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह** पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा हाल निवासी 106,107,108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा, की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे–पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने अपनी राजी खुशी से खूब सोच समझकर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाब के बहक द्वितीय पक्ष लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का–

मूल्य का कुल 7,75,000/–रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि–

3,87,500/–रु चैक सं. 192194 दिनांक 04.12.2023

3,87,500/–रु चैक सं. 192195 दिनांक 04.12.2023

दोनों चैक केनरा बैंक के प्राप्त किए।

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

तहरीर दिनांक : 04.12.2023
टाईप किया : पं0 के0 के0 शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
साक्षी–

1. राजकुमार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम अहमलकलाँ, सौंख तहसील गोवर्धन जिला मथुरा।

2. नितिन पुत्र स्व0 रामगोपाल
निवासी प्रकाश नगर मथुरा।

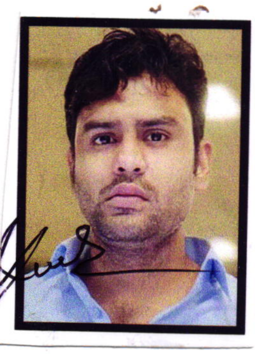

आवेदन सं०: 202300764067932

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12424 के पृष्ठ 313 से 326 तक क्रमांक 28488 पर दिनाँक 04/12/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमर सिंह प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
04/12/2023

दोकित्ता प्लाट नं० 33 सी व 34 सी का उत्तरी भाग जो
आपस में मिले हुये है स्थित मौजा सलेमपुर मथुरा तहसील
व जिला मथुरा जो खसरा नं० 58 में स्थित है।
विक्रेता - जगवीर सिंह S/o श्री नवल सिंह